न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 1141/2017

प्रार्थीगण	बनाम	अप्रार्थीगण
1 कूम्पसिंह 2 हरलालसिंह पिसरान नरसिंगा जाति राजपुरोहित निवासी बाडमेर गादान तहसील व जिला बाडमेर।		1 लूणीदेवी पत्नी हरजीराम 2 नेनूदेवी पत्नी छोगाराम जाति कुम्हार निवासी बाडमेर गादान 3 पपूदेवी पत्नी खेताराम 4 दानाराम पुत्र किरताराम जाति नाई निवासी महाबार 5 अनिता पत्नी हस्तीमल जाति जैन निवासी कल्याणपुरा बाडमेर शहर 6 जेकाराम पुत्र सांगाराम के कायम मुकाम 7/1 बाबूलाल 7/2 मूलाराम 7/3 सवाईराम पिसरान बांकाराम जाति नाई निवासी महाबार 8 भूरसिंह पुत्र जुगतसिंह जाति राजपुरोहित निवासी बाडमेर गादान 9 जुगताराम पुत्र नरसिंगाराम जाति कुम्हार निवासी बाडमेर गादान 10 मीनादेवी पत्नी दिलीप कुमार जाति नाई निवासी बाडमेर गादान 11 अर्जुन पुत्र पूनमा 12 मांगाराम 13 देराराम 14 मूलाराम पिसरान गोरधन 15 रेखादेवी पत्नी गोरधन 16 अणछीदेवी पत्नी रिडमलराम 17 हीरादेवी पत्नी नारणाराम जाति कुम्हार निवासी बाडमेर गादान 18 सांगसिंह 19 नखतसिंह 20 सुरेन्द्रसिंह 21 खेतसिंह 22 सवाईसिंह पिसरान गोविन्दसिंह जाति राजपुरोहित निवासी महाबार तहसील व जिला बाडमेर।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री गोपालसिंह राजपुरोहित वकील प्रार्थीगण।

आदेश

दिनांक 16.02.2018

संक्षिप्त में प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की पैतृक भूमि मौजा बाडमेर गादान में खेत खसरा संख्या 2129 की आई हुई थी, जिसमे प्रार्थीगण द्वारा उक्त खसरान की भूमि में से अपने हिस्से में आने वाली भूमि में से 21.00 बीघा भूमि का बेचान अप्रार्थीगण जुगताराम, अर्जुनराम, गोरधनराम व गोविन्दसिंह को किया गया था। बाद बेचान खसरा संख्या 2457/2129 कायम किया जाकर लठ्ठा ट्रेस में तरमीम की गई तथा प्रार्थीगण का खसरा संख्या 2458/2129 कायम किया गया। प्रार्थीगण द्वारा बेचान की गई भूमि की तरमीम करते समय पटवारी हल्का द्वारा मौके की जांच किये बिना गलत रूप से प्रार्थीगण की कब्जे काश्त वाली भूमि तथा बेचान किये गये रकबे से अधिक 05.00 बीघा भूमि की तरमीम गलत रूप से लठ्ठा ट्रेस में अंकित कर दी गई। प्रार्थीगण के एवं अप्रार्थीगण के रकबे व हिस्से के सम्बन्ध में कोई विवाद नही है। मौके एवं रेकर्ड के अनुसार तरमीम दुरूस्त करवाने का निवेदन किया।

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नॉटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सुचना अनुपस्थित होने से उसके विरूद्ध ईकतरफा कार्रवाई अमल में लाई गई। प्रकरण का तथ्यात्मक प्रतिवेदन तहसीलदार बाडमेर से तलब किया गया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा दिनांक 30.01.2018 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। जांच प्रतिवेदन अनुसार मौजा बाडमेर गादान के खसरा संख्या 2457/2129 रकबा 21.00 बीघा व खसरा संख्या 2458/2129 रकबा 60.19 बीघा भूमि की तरमीम दुरूस्ती हेतु मूल खसरा संख्या 2129 की पैमाईश कर जांच की गई। खसरा संख्या 2129 के अन्तर्गत आने वाला खसरा संख्या 2457/2129 रकबा 21.00 बीघा में प्लॉटों के रूप

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मे आबादी बसी हुई है। खसरा नम्बर 2457/2129 व खसरा नम्बर 2458/2129 को तरमीम शुद्धि करने पर खसरा संख्या 2459/2129 भी प्रभावित हो रहा है। खसरा संख्या 2459/2129 के मौके पर उपस्थित खातेदारान की सहमति ली गई। मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम दुरूस्त बाबत् नक्शा तैयार किया जाकर माफिक नक्शा अनुसार तरमीम दुरूस्त करने की अभिशंसा की गई।

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वर्तमान में नक्शे की स्थिति मौके पर काश्तकारों के कब्जा काश्त अनुसार नही है। कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्त की जाती है तो किसी भी काश्तकार के रकबे में किसी प्रकार का अन्तर नही आयेगा तथा राजस्व नक्शे की स्थिति मौके के अनुसार ही रहेगी। तहसीलदार बाडमेर द्वारा जो प्रतिवेदन उपलब्ध करवाया है उसमे भी तरमीम दुरूस्ती की अभिशंसा की गई है।

बहस सुनने के पश्चात् पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट का भी अवलोकन किया। तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के अनुसार खसरा संख्या 2457/2129, 2458/2129 एवं 2459/2129 की स्थिति पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार जांच प्रतिवेदन के संलग्न प्रस्तुत नक्शा के अनुसार सही है। उन्होने उक्त कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरूस्ती की अभिशंसा की है।

उपर्युक्त विवेचनोपरान्त हम इस निस्कर्ष पर पहुचे है कि मौजा बाडमेर गादान में खेत खसरा संख्या 2457/2129, 2458/2129 व 2459/2129 में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन में अंकित तथ्यों एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के मद्देनजर स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र तहसीलदार बाडमेर द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के मद्देनजर स्वीकार किया जाकर मौजा बाडमेर गादान में खेत खसरा संख्या 2457/2129, 2458/2129 व 2459/2129 मे तहसीलदार बाडमेर द्वारा मौका रिपोर्ट के संलग्न प्रस्तुत नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार शुद्ध की जाती है। तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि उक्त नक्शा परिशिष्ट 'अ' के अनुसार राजस्व अभिलेख में शुद्धि करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 16.02.2018 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (SDO),
बाड़मेर

Scanned by CamScanner